S.No.	Name of States	Allocation of funds for irrigation projects (Rs. in crores)					No. of Major, Medium & ERM* Projects completed during 8th Plan (Provisional)
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	
14.	Manipur	39.80	43.00	37.52	45.73	38.42	—
15.	Meghalaya	9.40	10.20	9.33	9.80	10.80	—
16.	Mizoram	2.64	2.84	2.83	2.47	2.85	—
17.	Nagaland	3.75	3.90	3.25	3.35	3.30	—
18.	Orissa	314.78	328.28	380.84	292.09	438.58	—
19.	Punjab	66.30	69.28	85.43	98.64	110.22	3
20.	Rajasthan	186.29	232.65	317.90	376.95	344.46	5
21.	Sikkim	2.00	2.15	1.99	2.31	2.56	—
22.	Tamil Nadu	97.98	107.00	124.55	124.24	248.57	4
23.	Tripura	18.00	18.75	7.98	10.28	16.95	—
24.	Uttar Pradesh	376.46	464.40	420.35	429.59	579.23	—
25.	West Bengal	115.89	105.16	165.85	121.00	189.33	—
	Total States	4123.16	4972.54	5601.36	6519.84	7760.72	49
	Total UTs	11.90	8.17	9.44	9.19	10.01	—
	Total States & UTs	4135.06	4980.71	5610.80	6529.03	7770.73	49
	Central Sector	81.22	83.95	87.66	89.50	1026.97	—
	Grand Total	4216.28	5064.66	5698.46	6618.53	8797.70	49

*ERM = Extension, Renovation and Modernisation

वर्षा का आकलन

1815. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न अंचलों का सर्वेक्षण करा कर आकलन किया गया है कि किन-किन राज्यों में कुल कितनी-कितनी भूमि में वर्षा सामान्य होती है, कम होती है और अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त तीन क्षेत्रों में से प्रत्येक वर्षा की मात्रा कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अति वर्षा वाले क्षेत्रों के जल को पहुंचाने के संबंध में कोई योजना सरकार, के विचाराधीन है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न वर्षापात की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले उप प्रभागों/राज्यों के नाम तथा देश के क्षेत्र का प्रतिशत इस प्रकार है:—

वर्षा पात वाली श्रेणी	उप प्रभाग/राज्य का नाम	देश के क्षेत्र का प्रतिशत
75 से०मी० वर्षा से कम	पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक का उत्तरी अन्तः स्थल, पंजाब, रायलसीमा, सौराष्ट्र तथा कच्छ, पश्चिमी राजस्थान	21%
75 से० मी० से 150 से० मी०	बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगेटिक पश्चिमी बंगाल, गुजरात क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, उडीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र, उत्तर अन्तः स्थलीय कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलांगाना, विदर्भ	64%

वर्षा पात वाली श्रेणी	उप प्रभाग/राज्य का नाम	देश के क्षेत्र का प्रतिशत
150 से॰ मी॰ से अधिक	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप, अरूणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय तटीय कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, केरल, कोंकण तथा गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उप-हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम, त्रिपुरा	15%

(ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को आपस में जोड़कर तथा क्षमता स्थलों पर जलाशयों का निर्माण करके जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का स्थानांतरण करना शामिल है।

वर्षा जल का उपयोग

1816. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्षा स्रोत से 4000 घन किलोमीटर-जल प्राप्त होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इसमें से 80% जल बिना उपयोग के नदियों द्वारा बह कर समुद्र में चला जाता है; यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या आकलन किया है; और

(घ) ऐसे जल का उपयोग करने के लिए सरकार की दीर्घकालीन योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में वर्षापात सहित 4000 बिलियन घन मीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसमें मौसमी वर्षा (जून से सितम्बर) की मात्रा 3000 बिलियन घन मीटर है। जिसमें से नदियों से उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह की मात्रा 1869 बिलियन घन मीटर है। वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों, जिसकी मात्रा लगभग 452 बिलियन घन मीटर है के अतिरिक्त स्थलाकृति, जल वैज्ञानिक और अन्य प्रतिबंधों के कारण उपयोज्य सतही जल की मात्रा 690 बिलियन घन मीटर आंकी गयी है। वाष्पन और वानस्पतिक क्षतियों एवं नदी क्षेत्र को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित करने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है। इस समय (1994) जल का उपयोग(सतही और भूजल) लगभग 606 बिलियन घन मीटर अर्थात 53% है तथा 536 बिलियन घन मीटर उपयोग योग्य जल अनुपयुक्त रह जाता है।

(घ) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए वर्षा के जल का उपयोग करने के वास्ते नदियों पर भण्डारणों के सृजन पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को परस्पर जोड़कर अधिशेष जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल के स्थानान्तरण तथा क्षमता पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। यह अनुमान है कि अन्तर-बेसिन स्थानान्तरणों के माध्यम से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 220 बिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगा।

Efforts to resolve water dispute

1817. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has made any serious efforts to resolve the various water disputes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to resolve such water disputes out of Court's jurisdiction; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) The Central Government endeavours to resolve inter-State water related disputes by encouraging negotiations, constituting Boards for development and regulation of